झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (टी) सं0 1299 वर्ष 2017

मेसर्स आर0एम0 कंस्ट्रक्शन, एक साझेदारी फर्म है जिसका कार्यालय शास्त्री नगर, गुमला, डाकघर एवं थाना–गुमला, जिला–गुमला, झारखंड में है, अपने एक साझेदार श्री राधा मोहन साहु, पे0 श्री रूपचंद्र साहु, निवासी–शास्त्री नगर, डाकघर एवं थाना–गुमला, जिला–गुमला, झारखंड। .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखंड, रांची जिसकास कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगरनाथपुर, एच0ई0सी0, रांची में है

3. संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (प्रशासन), रांची डिवीजन, रांची जिसका कार्यालय कोर्ट कम्पापन्ड, कचहरी, रांची में है

4. वाणिज्यिक कर उपायुक्त, गुमला सर्किल, गुमला, जिसका कार्यालय राजस्व भवन, डाकघर, थाना और जिला–गुमला, झारखंड में है

5. सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, गुमला सर्किल, गुमला, राजस्व भवन, डाकघर, थाना और जिला–गुमला, झारखंड

6. बैंक ऑफ इंडिया, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक बैंकिंग कंपनी है, जिसका शाखा कार्यालय गुमला शाखा, मेन रोड, डाकघर, थाना और जिला–गुमला, झारखंड अपने मुख्य प्रबंधक के माध्यम से।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0एन0 पटेल**

माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर

याचिकाकर्ता के लिए :— श्रीमती ए0आर0 चौधरी, अधिवक्ता

राज्य के लिए:— श्री कुमार सुंदरम, ए0ए0जी0 का जे0सी0

बैंक ऑफ इंडिया के लिए :— श्री ए0 आलम, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती प्रिया श्रेष्ठ, अधिवक्ता

03 / दिनांक:16 अप्रैल, 2017

मौखिक आदेश

डी0एन0 पटेल, न्याया0 के अनुसार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मामले के गुण—दोष पर बहस के दौरान कई मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन, उनमें से कोई भी हमें यह आश्वस्त नहीं कर सका कि आक्षेपित आदेश अपील योग्य है। वाणिज्यिक कर उपायुक्त, गुमला सर्कल, गुमला द्वारा पारित दिनांक 28.07.2016 का आदेश (अनुलग्नक—2), जो झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत पारित है, अपील योग्य आदेश है। यह अपील झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 79 के तहत संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील), रांची डिवीजन, रांची के समक्ष की जा सकती है।

2. इसलिए, हम इस स्तर पर इस रिट याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं। अपील दायर करने के लिए याचिकाकर्ता को छूट है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा यहाँ उठाए गए सभी बिंदुओं को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उठाया जा सकता है।

3. इन टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटान किया जाता है। मुख्य याचिका में पारित अंतिम आदेश को ध्यान में रखते हुए, आई0ए0 संख्या 2112/2017 का निपटान किया जाता है।

(डी0एन0 पटेल, न्याया0)

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)